न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश टोंक, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती स्वाति व्यास, आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

अग्रिम जमानत प्र.सं. : 385/2026 (63/2026)

1. मीना देवी पत्नी महावीर उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम निरबाना तहसील व जिला टोंक।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, टोंक

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 87/2026, थाना मेहन्दवास, जिला टोंक, धारा 303(2) बी.एन.एस. व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट

उपस्थित:–

1. श्री राजेश गुर्जर iv विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से ।

2. श्री प्रदीप कुमार साहू विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

आदेश दिनांक: **30.06.2026**

01. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीया ने श्रीमान सेशन न्यायालय जिला टोंक के समक्ष पेश किया, जो निस्तारण हेतु अंतरित होकर प्राप्त हुआ। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.03.2026 को समय 12.20 एएम पर परिवादी राजेन्द्र सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना मेहन्दवास ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उक्त दिनांक को थाने से समय 1.15 एएम पर मय जाप्ता रवाना होकर नेशनल हाईवे 52 अमीरपुर खेडा पहुंचा कि टोंक की तरफ से एक इको वैन लहराती हुयी आयी जिसको मय जाप्ता की मदद से रोका व चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महावीर होना बताया जिसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिसको ब्रेथ एनलाईजर मशीन से चैक किया गया तो 181 एमजी एल्कोहल होना पाया गया। उक्त चालक का कृत्य धारा 185 एमवी एक्ट का पाया गया एवं वाहन के कोई कागजात नही होने पर धारा 202 एमवी एक्ट में जप्त कर बाद कार्यवाही गैरसायल को अदम अदखाल गिरफतार कर मौके पर उपस्थित जामीन होने पर बाद जमानत गैर सायल का जामीन को संभलाकर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात इको वेन सं. आरजे 45 सीवाई 5857 को हमरा लेकर थाना आया जिसको

सुरक्षार्थ थाना परिसर में खडी करवाकर बाला बाला गश्त करता हुआ समय 3 एएम पर ग्राम निरबाणा पहुंचा की सामने से दो ट्रेक्टरों की लाईट आती हुयी नजर आयी, जो लाईटों में पुलिस वाहन की लाईट व उपर की बती देखकर ट्रेक्टर चालको ने अपने अपने ट्रेक्टरों को आम रास्ते में ही खडा करके पीछे के ट्रेक्टर चालक ने ट्रोली में भरी बजरी को खाली कर दोनों ट्रेक्टरों के चालक अंधेरे में भागने में सफल हो गये....आदि आदि। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.87/2026 अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. व धारा 4/21 एम.एम.आर.डी. एक्ट में पंजीबद्ध की जाकर अनुसन्धान किया जा रहा है।

03. **प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस तर्क रहा है** कि प्रार्थीया के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध प्रमाणित नही है, जिसमें आजीवन करावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो। प्रार्थीया ने कोई अपराध नही किया ना ही तथाकथित अपराध से कोई संबंध या सरोकार है। प्रार्थीया के स्वामी होने के कारण जांच अधिकारी गिरफतार करने पर आमदा है। प्रार्थीया प्रतिष्ठित महिला है, यदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसको गिरफतार कर लिया जाता है तो उसकी छवी धूमिल हो जावेगी तथा उसके मन व मस्तिष्क पर विपरीत असर पडेगा। प्रार्थीया उक्त प्रकरण में अनुसंधान में कही भी आवश्यकता पडती है, तो पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार व तत्पर है। प्रार्थीया न्यायालय की आरोपित सभी शर्तो को मानने को तैयार है। अतः उसको अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

05. **विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया है** कि प्रार्थीया के विरूद्ध धारा 303(2) बी.एन.एस. व धारा 4/21 एम.एम.आर.डी. एक्ट का गम्भीर आरोप हैं। जिससे अनुसंधान शेष है। अतः प्रार्थीया का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

06. प्रार्थीया का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड शून्य है।

07. बहस उभय पक्षकारान अग्रिम जमानत पर सुनी गयी।

08. न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया जाकर केस डायरी का आध्योपांत अध्यन एवं परिशीलन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से यह परीलक्षित है कि पुलिस द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध धारा 303(2) बी.एन.एस. व धारा 4/21 एम.एम.आर.डी. एक्ट में दर्ज किया गया है। माननीय उच्च्तम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत जयंत बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश राज्य क्रिमि. अपील नंबर 824–825/2020 दिनांकित 03.12.2020 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

"ऐसी स्थित में जहां उल्लंधनकर्ता को धारा 23 ए की उप–धारा(1) के अनुसार जुर्माना भुगतान करने पर अपराधों का शमन (compounding) करने की अनुमति दी जाती है, वहां MMDR अधिनियम की धारा 23 ए की उप–धारा (2) को ध्यान में रखते हुए, अपराधी के खिलाफ इस प्रकार शमन किये गये MMDR अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नही की जाएगी।"

उक्त आदेश के प्रकाश में संबंधित विधि को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रकरण का अवलोकन किया जाये तो तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। इसका कोई आपराधिक रिकार्ड भी नही है। प्रकरण का मुख्य आरोपी की जमानत हो चुकी है। धारा 23 ए एमएमआरडी एक्ट के तहत अपराध शमनीय है। वाहन मालिक अनुसंधान हेतु तैयार है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीया को **अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।**

09. अतः **प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 भा.ना.सुरक्षा संहिता** स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया की ओर से अपनी गिरफतारी की अवस्था में प्रकरण के अनुसंधानकर्ता/थानाधिकारी पुलिस थाना **मेहन्दवास** के संतोषप्रद 50 हजार रूपये का मुचलका व इसी राशि की मौतबीर जमानत निम्न शर्तो सहित प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे मौजूदा मामले में वर जमानत आजाद रखा जावे–

1. कि अनुसंधान के दौरान तलब किये जाने पर अनुसंधानकर्ता के समक्ष उपस्थित होगी।
2. कि गवाहान को डरायेगा, धमकायेगा नही, किसी प्रकार का प्रलोभन, वचन आदि नही देगी।
3. कि न्यायालय की अनुमति के बिना भारत छोडकर नही जायेगी।
4. प्रकरण में प्रार्थीया अभियुक्त के संलिप्त वाहन की एनजीटी व शास्ति राशि जमा कराने के चालान की मूल प्रति तथा वाहन से संबंधित मूल कागजात अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश करेगी।

(श्रीमती स्वाति व्यास)

10. आदेश आज दिनांक 30.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(श्रीमती स्वाति व्यास)